रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042020-219245
CG-DL-E-30042020-219245

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1254] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2020/वैशाख 10, 1942
No. 1254] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2020/VAISAKHA 10, 1942

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2020

का.आ. 1402(अ).—केंद्रीय सरकार की भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 और धारा 17 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो के साथ परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम फ्थेलिक एनहाइड्राइड (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2020 है।

(2) यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन पश्चात प्रवृत्त होगा।

(3) यह निम्नलिखित सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं पर लागू होगा, किंतु निर्यात के लिए मालों या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा।

2. **मानक के साथ अनुरूप्ता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग-** उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो से एक अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगे।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण-** उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में, ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।

4. **उल्लंघन के लिए शास्ति-** कोई व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

सारणी

माल या वस्तु	भारतीय मानक	भारतीय मानक के लिए शीर्षक
(1)	(2)	(3)
फ्थेलिक एनहाइड्राइड	आईएस 5158: 1987	फ्थेलिक एनहाइड्राइड के लिए विनिर्देश, तकनीकी

टिप्पण : सारणी के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानक का नवीनतम संस्करण, जिसमें उसके संशोधन जारी किए गए हैं, जैसा कि समय-समय पर ब्यूरो द्वारा प्रकाशित और अधिसूचित किया जाता है, अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

[फा. सं. 46016/15/2018-पीसी-II]

काशी नाथ झा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 23rd April, 2020

S.O. 1402(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 and section 17 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) , (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following order, namely:—

1. **Short title, commencement and application. –** (1) This order may be called the Phthalic Anhydride (Quality Control) Order, 2020.

   (2) This order shall come into force on the expiry of one hundred and eighty days from the date of its publication in the Official Gazette.

   (3) It shall apply to goods or articles specified in column (1) of the Table below, but shall not apply to such goods or articles meant for export.

2. **Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark.-** Goods or articles specified in column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-I of Schedule-II of the BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

3. **Certification and enforcement authority.-**In respect of the goods or articles specified in column (1) of the Table, the Bureau shall be the certifying and enforcing authority.

4. **Penalty for contravention. -**Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable under the provisions of the said Act.

TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title for Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Phthalic Anhydride	IS 5158: 1987	Specification for Phthalic Anhydride, Technical

Note : For the purpose of the Table, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof, as published and notified by the Bureau from time to time, shall be applicable from the date of notification.

[F. No. 46016/15/2018-PC-II]

KASHI NATH JHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.04.30 19:41:03 +05'30'